प्रेस नोट दिनांक- 13.08.2024

जनपद चन्दौली

□ जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों के आस पास व सार्वजनिक स्थानों पर नशेबाजी करने वालों को खिलाफ चेकिंग व कार्रवाई अभियान

□ जनपदीय पुलिस द्वारा कुल 74 शराबियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई।

चन्दौली:- सड़क पर, कार में, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना या फिर शराब पीकर गाड़ी चलाना दंडनीय अपराध है, ऐसा करना आपके और आपकी वजह से दूसरे के लिये खतरनाक साबित हो सकता है। यह जरूरी बातें जानते सब हैं लेकिन जो नहीं मानते उनके लिये जनपद चन्दौली पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर उनके विरूद्ध कार्रवाई की गई।

चन्दौली में सार्वजनिक स्थानों पर खुले में शराब पीने, रंगबाजी दिखाने, जुआ खेलने, स्टंट दिखाने, छेड़खानी करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई जारी है। अभियान में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। एक बार से अधिक पकड़े जाने पर डिफॉल्टर्स का लाइसेंस भी निरस्त करवाने की कारवाई की जा रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संवेदनशील जगह चिह्नित कर पुलिस ने उपरोक्त प्रकार के व्यक्ति पर कार्यवाही की गई।

चन्दौली पुलिस ऐसे लोगों के विरुद्ध मात्र कार्यवाही ही नहीं कर रही बल्कि ऐसे सभी लोगों को मादक पदार्थों /शराब के सेवन से होने वाले आर्थिक व शारीरिक हानि के साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा व परिवार के सदस्यों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के सम्बन्ध में विधिवत जागरूक किया जा रहा तथा आगे से मादक पदार्थों का सेवन न करने हेतु प्रेरित भी किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे ने बताया कि जनपद के समस्त अधिकारी व थाना प्रभारीगण को सघन चेकिंग अभियान लगातार चलाते हुए कार्यवाही किये जाने के साथ ही लोगों को जागरूक किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। यह अभियान निरन्तर पूरे जनपद में चलाया जाता रहेगा।

इसी क्रम में 13.08.2024 को समस्त थानों द्वारा 292 BNS के तहत कुल 74 शराबियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।

प्रेस नोट-दिनांकः 14.08.2024

यातायात पुलिस चंदौली

□ यातायात पुलिस ने चलाया विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान विगत 04 दिनों में कुल 1013 वाहनों का चालान करते हुए 20,93,300/- ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया व 15 वाहनों को किया गया सीज

□ यातायात पुलिस चन्दौली द्वारा वाराणसी से बिना परमिट व बिना फिटनेस पर आ रहे ऑटो का भी किया जा रहा चालान

□ यातायात पुलिस द्वारा लगातार बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों के उल्लघन करने वालो पर लगातार कार्रवाई जारी

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चंदौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात रघुराज के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक यातायात सुरेन्द्र यादव मय यातायात टीम द्वारा विगत 04 दिनों में जनपद में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों का उल्लघन करने वाले, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने तथा मानक के अनुरूप नम्बर प्लेट न लगाये जाने पर कुल 1013 वाहनों का चालान करते हुए 20,93,300/- ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया गया। इसी प्रकार प्रमुख चौराहों पर यातायात अपराधों के विरूद्ध विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों के पालन के लिये जागरुक किया गया।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय चंदौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात ,रघुराज के निकट पर्यवेक्षण तथा यातायात प्रभारी सुरेन्द्र यादव व सभी यातायात अधि0/कर्मचारीगण के द्वारा बढ़ती हुयी सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में जनपद के प्रमुख चौराहों तिराहों व सार्वजनिक मार्गो, पर लगातार भ्रमणशील रहकर यातायात पुलिस चंदौली द्वारा यातायात नियमों के पालन के लिये सड़क सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम के तहत रोड़ पर लोगो को जागरुक किया गया । साथ ही साथ आमजन व वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों के पालन करने हेतु जैसे- नशे की हालत में वाहन न चलाने, निर्धारित मानक से अधिक सवारी न बैठाने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने अवयस्क को वाहन न चलाने देने सीट बेल्ट का प्रयोग करने

दोपहिया वाहनों पर हेलमेट का प्रयोग करने वाहनों को ओवर लोड न चलाने आदि के संबन्ध में जागरूक किया गया व सभी को अवगत कराया गया कि "सीटबेल्ट" का प्रयोग व दो पहिया वाहन चलाते समय "हेलमेट" का प्रयोग अवश्य करें।

इसी क्रम में यातायात पुलिस द्वारा विगत चार दिवसीय कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित यातायात के नियमों के उल्ल्घन करने पर चालान की कार्रवाई की गयी है-

क्रम संख्या यातायात नियम उल्ल्घन का प्रकार चालान की संख्या

1 मांगने पर लाइसेंस ना देना-30

2 वाहन चलाते समय मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण का प्रयोग -5

3 बिना हेलमेट-537

4 खतरनाक ढंग से वाहन चलाने पर-38

5 मोटरसाइकिल पर तीन सवारी-82

6 नो पार्किंग-244

7 गलत नम्बर प्लेट-40

8 लाइसेंस ना होना-16

9 गलत दिशा में वाहन चलाना-110

10 बिना शीटबेल्ट-19

11 बिना फिटनेस-33

यातायात नियमों के उलंघन में की गयी कार्यवाही का विवरणः-

(1)संपूर्ण चालानः-1013 (2)संपूर्ण कारित राजस्वः-20,93,300/- रूपयें

(3)सीज वाहन-15

□ जनपदीय कानून व्यवस्था को बिगाडने वाला व कार्य सरकार में बांधा डालने वाला किया गया गिरफ्तार

□ थाना मुगलसराय द्वारा राहगीर यात्रियो से मारपीट करके यातायात बाँधित करने वाला किया गया गिरफ्तार

□ पुलिस कर्मचारियो के कार्य में बाधा डालने व उनके साथ हाथापाई कर चोट पहुचाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक चन्दौली, श्री आदित्य लांग्हे द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरूद्ध अंकुश लगाने के क्रम में दिये गये निर्देश व अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर राजेश कुमार राय के कुशल मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक मुगलसराय विजय बहादुर सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा पीडीडीयू नगर रेलवे स्टेशन के वीआईपी गेट के पास आने जाने वाले राहगीरों के साथ मारपीट करने वाले व समझाने बुझाने पर ड्यूटी में मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने वाला अभियुक्त को गिरफ्तार कर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई थाना स्थानीय द्वारा प्रचलित है।

घटनाक्रम- यातायात उपनिरीक्षक ओम प्रकाश उपाध्याय हमराह हे0का0 दिनेश कुमार ,का0 नरसिंह यादव, व PRD जवानों के साथ दिनांक 13.08.2024 को समय 16.00 बजे से 22.00 बजे तक VIP रोड यार्ड पर यातायात संचालित व्यवस्था ड्युटी सम्पादित कर रहे थे। तभी समय करीब 21.00 बजे एक व्यक्ति शराब के नशे में बाटा शोरुम के सामने आने जाने वाले यात्रियों से मारपीट व गाली गलौज करते हुए यातायात बाँधित कर रहा था। मौके पर ड्यूटी में मौजूद का0 नरसिंह यादव यातायात पुलिस जनपद चन्दौली द्वारा उसे शान्ति पूर्वक रहने व यातायात बाधित न करने के लिए समझाने बुझाने का प्रयास किया गया तो उपरोक्त व्यक्ति द्वारा उग्र होकर का0 नरसिंह यादव का वर्दी पकड़ कर खिचँने लगा बीच बचाव में आये अन्य पुलिस कर्मियो पर भी हाथा पाई करते हुए चोट पहुँचाया। उपरोक्त प्रकरण में मौजूदा पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त व्यक्ति छोटू कुमार S/O स्व0 सत्येन्द्र गोस्वामी ग्राम चेई सलैया औरंगाबाद उम्र 22 वर्ष को वीआईपी गेट बाटा शोरूम के पास से गिरफ्तार कर थाना मुगलसराय लाया गया। वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

नाम पता अभियुक्त-

1.छोटू कुमार S/O स्व0 सत्येन्द्र गोस्वामी ग्राम चेई सलैया औरंगाबाद उम्र करीब 22 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0स0-326/2024 धारा-132/115(2)/324(4) BNS

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक विजय बहादुर सिंह थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।
2. उ0नि0 ओम प्रकाश उपाध्याय टीएसआई जनपद चन्दौली।
3. हे0का0 दिनेश कुमार यातायात पुलिस जनपद चन्दौली।
4. का0 नरसिंह यादव यातायात पुलिस जनपद चन्दौली।

अवैध शराब, मादक पदार्थ एवं गो तस्करों के विरुद्ध चन्दौली पुलिस की कार्रवाई जारी।

गोवंशो को क्रूरतापूर्ण तरीके से पिकअप वाहन में लादकर वध हेतु थाना बलुआ जनपद चन्दौली के रास्ते बिहार ले जाया जा रहा था।

बलुआ पुलिस टीम को लक्ष्मणगढ मोड के पास टेढी पुलिया ग्राम सराय के पास से चेकिंग के दौरान मिली सफलता

थाना बलुआ पुलिस द्वारा 02 पिकअप वाहन में लादकर ले जाए जा रहे 09 राशि गोवंशों की बरामदगी करते हुए शातिर गिरोह के 02 अन्तर्राज्यीय गौ-तस्कर को भी किया गया गिरफ्तार।

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली, श्री आदित्य लांग्हे द्वारा अपराध एवं अपराधियों गौ-तस्करों के विरुद्ध अंकुश लगाने हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में व अपर पुलिस अधीक्षक चन्दौली विनय कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी सकलडीहा रघुराज के मार्गदर्शन में थानाध्यक्ष बलुआ के नेतृत्व में थाना बलुआ पुलिस द्वारा लक्ष्मणगढ़ मोड के पास टेढी पुलिस ग्राम सराय थाना बलुआ जनपद चन्दौली के पास से 02 पिकअप वाहन में क्रूरतापूर्वक लादकर वध हेतु परिवहन किये जा रहे 09 राशि गोवंशों के साथ के 02 शातिर गौ-तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है।

पुलिस कार्यवाही- आज दिनांक 14.08.2024 को थानाध्यक्ष बलुआ अशोक कुमार मिश्रा मय हमराह को मुखबिर से सूचना मिली कि दो पिकअप में कुछ गोवंशो को क्रूरतापूर्वक लादकर चौबेपुर वाराणसी की तरफ से बलुआ पुल के रास्ते आ रहे है। जिन्हें वध हेतु चन्दौली के रास्ते बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल ले जा रहे जा है। इस सूचना पर थाना बलुआ पुलिस टीम द्वारा लक्षणणगढं मोड के पास टेढी पुलिस पर आ रही दोनों पिकअप वाहन संख्या UP65KT7612 तथा दूसरी पिकअप वाहन संख्या UP65PT3472 को घेराबन्दी करके पकड़ लिया गया। पुलिस कब्जे में लिए गये दोनो वाहनो से 09 राशि गोवंश के साथ 02 शातिर पशु तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बलुआ जनपद चन्दौली पर मु0अ0सं0 131/2024 धारा 3/5/5A/8 गोवध निवारण अधि. व 11 पशु क्रु.नि.अधि. तथा 4/25 आयुध अधि. पंजीकृत कर अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

<u>विवरण पूछताछः-</u>गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम लोग व हमारे साथी 1. वाहन सं0- UP65KT7612 के वाहन स्वामी राजनाथ यादव पुत्र रामनरेश यादव वर्तमान पता राजेश पाण्डेय पुत्र श्रवण कुमार मोलनापुर श्रीकंठपुर कादीपुर कैथी वाराणसी स्थायी पता महगाँव पपौरा थाना बलुआ जनपद चन्दौली 2. वाहन सं0- UP65PT3472 के वाहन स्वामी अजीत कुमार पुत्र वंशीराम निवासी ग्राम अमौली थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी से घुम-घुमकर गाँवो से गोवंशो को एकत्र कर अपने वाहन पर लादकर पश्चिम बंगाल राज्य में ले जाकर वध हेतु अच्छे दामों पर बेचते हैं। जिससे उनकी अच्छी खासी आमदनी होती है। जिसके पैसों से अपना विलासितापूर्ण जीवन व्यातीत करतें हैं।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-</u>1.अखिलेश यादव उर्फ राजू पुत्र जयनाथ यादव निवासी ग्राम चिटको थाना चन्दवक जनपद जौनपुर 2. दिवाकर कनौजिया पुत्र स्व0 बाबू नाथ कनौजिया निवासी सिस्टी थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी

<u>अपराधिक इतिहासः-</u>अभियुक्तगण अखिलेश यादव व दिवाकर कनौजिया का आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0-131/2024 धारा:- 3/5A/5B/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रू0 नि0 अधि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बलुआ जनपद चन्दौली

<u>विवरण बरामदगीः-</u>

1. 01 टाटा ऐश गोल्ड वाहन सं0- UP65KT7612, 2. 01 बोलेरो पिकप वाहन सं0- UP65PT3472 3. 09 राशि जिन्दा गोवंश (07 राशि गाय व 02 राशि बछड़ा) 4. 01 चापड़ 5. 02 मोबाइल फोन वीवो कम्पनी का

<u>गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीमः-</u>

1.थानाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्र थाना बलुआ जनपद चन्दौली

2.उ0नि0 शैलेश कुमार यादव थाना बलुआ जनपद चन्दौली 3.उ0नि0 अनिल कुमार यादव चौ0प्र0 कैलावर थाना बलुआ जनपद चन्दौली 4.उ0नि0 रामबिहारी सिंह थाना बलुआ जनपद चन्दौली 5.हे0का0 हरेन्द्र प्रसाद थाना बलुआ जनपद चन्दौली 6.का0 रोहित यादव थाना बलुआ जनपद चन्दौली 7.का0 रामजी पाण्डेय थाना बलुआ जनपद चन्दौली।

<u>जनपदीय पुलिस द्वारा हिस्ट्रीशीटरों के सत्यापन व चेकिंग अभियान के दौरान 124 हिस्ट्रीशीटर को किया गया चेक. हिस्ट्रीशीटरों के क्रियाकलापों पर जनपद पुलिस की पैनी नजर, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता पर की जाएगी कार्यवाही</u>

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली, आदित्य लांग्हे के निर्देशानुसार जनपद में अपराध व अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखने हेतु लगातार विभिन्न अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है।

☐ इसी क्रम में आज दिनांक-14.08.2024 को समस्त थानाप्रभारी/थानाध्यक्ष द्वारा अपने अपने थानाक्षेत्र के हिस्ट्रीशीटरों का सत्यापन कर उनकी वर्तमान सक्रियता व संलिप्तता के आधार पर कार्यवाही की जा रही है। अभियान के तहत पता भी लगाया गया कि अपराधी वर्तमान समय में क्या कर रहा है, कहाँ है जिंदा है अथवा मृत है और उनकी अपराधिक प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन हुआ है अथवा नही। समस्त हिस्ट्रीशीटरों पर जनपदीय पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है यदि किसी भी प्रकार की अपराधिक सलिंप्तता पाई जाती है तो सम्बंधित के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी।

☐ जनपद के समस्त थानाक्षेत्रों में कुल 124 हिस्ट्रीशीटरों को सत्यापन/चेक किया गया। क्रमशः थाना चन्दौली से 10, सैयदराजा से 07, कन्दवा से 07, सकलडीहा से 12, बलुआ से 15, अलीनगर से 01, मुगलसराय से 18, बबुरी से 10, चकिया से 16, शहाबगंज से 10, इलिया से 06, नौगढ़ से 10, चकरघट्टा से 02 हिस्ट्रीशीटरों के निवास स्थान पर जाकर सत्यापन/चेक किया गया। इस दौरान सम्बंधित पुलिस टीम द्वारा सम्बन्धित हिस्ट्रीशीटरों को आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त न होने के निर्देश दिए गए तथा यह भी बताया गया कि किसी प्रकार की आपराधिक संलिप्तता पाये जाने पर विधिक कार्यवाही की जाएगी।

□ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश के क्रम में चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" को निरन्तर सफल बना रही है चन्दौली पुलिस

□"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत हत्या के प्रयास का दोषी 01 अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 4000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी

□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री पारितोष श्रेष्ठ (अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय कक्ष संख्या-3 जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 4000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी

जनपद चन्दौली थाना शहाबगंज के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 20.06.2012 को धारा 147,148,149,307,411,412 भादवि के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.श्याम नरायण सोनकर पुत्र सकलू निवासी विसौरी थाना व जिला चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 50/2012 धारा 147,148,149,307,411,412 भादवि थाना शहाबगंज में पंजीकृत किया गया।

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक श्री रमाकान्त उपाध्याय (एडीजीसी) व थाना शहाबगंज के पैरोकार हे0का0 उमाशंकर की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 14.08.2024 मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री पारितोष श्रेष्ठ (अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय कक्ष संख्या-3 जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी अभियुक्त 1.श्याम नरायण सोनकर पुत्र सकलू निवासी विसौरी थाना व जिला चन्दौली को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 4000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

□ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेश के क्रम में चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" को निरन्तर सफल बना रही है चन्दौली पुलिस

□"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत आर्म्स एक्ट के दोषी 01 अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी

□ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री पारितोष श्रेष्ठ (अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय कक्ष संख्या-3 जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी

जनपद चन्दौली थाना शहाबगंज के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 20.06.2012 को धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.श्याम नरायण सोनकर पुत्र सकलू निवासी विसौरी थाना व जिला चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 51/2012 धारा3/25 आर्म्स एक्ट थाना शहाबगंज में पंजीकृत किया गया।

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक श्री रमाकान्त उपाध्याय (एडीजीसी) व थाना शहाबगंज के पैरोकार हे0का0 उमाशंकर की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 14.08.2024 मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री पारितोष श्रेष्ठ (अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय कक्ष संख्या-3 जनपद चन्दौली) द्वारा दोषी अभियुक्त 1.श्याम नरायण सोनकर पुत्र सकलू निवासी विसौरी थाना व जिला चन्दौली को जेल मे बितायी गयी अवधि व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

<u>थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा पिकअप में क्रूरता पूर्वक लादकर वध हेतु बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जाये जा रहे 06 गोवंशों को किया गया बरामद। वध करने के हथियार के साथ 04 गौतस्करों को किया गया गिरफ्तार</u>

पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा अपराध व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु लगातार चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर चन्दौली व क्षेत्राधिकारी PDDU के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 14.08.2024 थानाप्रभारी अलीनगर विनोद मिश्रा की पुलिस टीम को सिंधीताली पुल पर चेकिंग के दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि कई वाहन से पशुओं की तस्करी की जा रही है। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान सामने से आ रहे दो पिकअप वाहनों को रोकने का प्रयास किया गया। जिसपर पुलिस टीम को देखकर दोनों वाहन भागने लगे। सन्देह होने पर दोनो वाहनों पीछा करते हुए घेराबंदी कर पिकअप वाहन को कब्जे में लेकर तलाशी ली गई। जिसमें प्रत्येक पिकप वाहन से 03-03 गौवशों को बरामद किया गया। दोनों वाहनों में सवार 04 गौतस्करों को गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान क्रमशः</u>

1.कुलदीप पुत्र नन्दलाल निवासी डगैत थाना कोतवाली सदर जिला प्रतापगढ़ उम्र 26 वर्ष

2.राजेन्द्र पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम डगैत थाना कोतवाली सदर जिला प्रतापगढ़ उम्र 20 वर्ष

3.विष्णुकान्त चैबे पुत्र प्यारेलाल चैबे निवासी ग्राम मालदा थाना इलियाँ जनपद चन्दौली,

4.रोहित यादव पुत्र रामभरोस यादव निवासी ग्राम जाल्हूपुर भदेवा थाना चैबेपुर जिला वाराणसी कमिश्नरेट के रूप में हुयी।

उपरोक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना अलीनगर पर मु.अ.सं. 184/24 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना अलीनगर चन्दौली व मु.अ.सं. 183/24 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तो के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

<u>पूछताछ विवरण</u>

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि बरामद गौवंशों को हम लोग सुंदरपुर वाराणसी से लादकर बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल में बिक्री/वध के लिए परिवहन कर रहे थे।

<u>बरामदगी</u>

02 वाहन पिकअप रजिस्ट्रेशन नं. UP72BT7346, रजिस्ट्रेशन नं. UP65BT6077

06 राशि जिन्दा गोवंश बरामद

01 चापड़।

<u>पुलिस टीम-</u>

प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्र थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

उ.नि. मनीष कुमार सिंह चैकी प्रभारी जफरपुरवाँ थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

उ.नि. अमित कुमार सिंह चैकी प्रभारी भूपौली थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

हे0का0 अखिलेश सिंह थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

का0 दीपक यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

का0 अनन्त सिंह थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

का0 चन्द्रदेव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

का0 अनिल कुमार थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

□पुलिस अधीक्षक चन्दौली का समस्त अधिकारी एवं थाना प्रभारीगण को स्पष्ट निर्देश, संगठित/पेशेवर अपराधियों, गौ तस्करों/मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध की जाए गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही

□थाना धीना पुलिस टीम द्वारा 03 गोतस्करों के विरूद्ध की गयी गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय चन्दौली आदित्य लांग्हे द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरूद्ध अंकुश लगाने के क्रम में दिये गये निर्देश में व अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सकलडीहा रघुराज के कुशल निर्देशन में प्र0नि0 थाना धीना रमेश यादव टीम बनाकर अपराधियों एवं गोतस्करो के विरूद्ध की जा रही अभिसूचना संकलन की कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक धीना द्वारा थाना क्षेत्र में गोतस्करी करने वाले अभियुक्तगण गैंग लीडर 1. धर्मेन्द्र यादव पुत्र लालचन्द्र यादव नि0 भीमापार हुसैनपुर थाना सैदपुर जिला गाजीपुर 2.रविशंकर उर्फ रवि गुप्ता पुत्र गिरजाशंकर गुप्ता नि0 परानापुर थाना चौबेपुर जिला वाराणसी 3. आलोक यादव पुत्र रामकृत यादव नि0 परानापुर थाना चौबेपुर जिला वाराणसी के विरूद्ध मु0अ0स0 68/24 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करायी गयी।

अभियुक्तगण का विवरण-गैंगलीडर – 1.धर्मेन्द्र यादव पुत्र लालचन्द्र यादव नि0 भीमापार हुसैनपुर थाना सैदपुर जिला गाजीपुर

गैंगसदस्य –1.रविशंकर उर्फ रवि गुप्ता पुत्र गिरजाशंकर गुप्ता नि0 परानापुर थाना चौबेपुर जिला वाराणसी 2.आलोक यादव पुत्र रामकृत यादव नि0 परानापुर थाना चौबेपुर जिला वाराणसी

अपराधिक इतिहास का विवरण-1.मु0अ0सं0- 126/2023 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना धीना, चन्दौली।

कार्यवाही करने वाली टीम –

1.प्र0नि0 रमेश यादव थाना धीना जनपद चन्दौली

2.हे0का0 चन्दन गिरि थाना धीना जनपद चन्दौली

3.का0 अनुराग सिंह थाना धीना जनपद चन्दौली4.का0 अंकित वर्मा थाना धीना जनपद चन्दौली

---चुस्त-दुरुस्त कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अ0पु0अधी0 सदर व आपरेशन, समस्त क्षेत्राधिकारीगण तथा थाना/चौकी प्रभारियों मय पुलिस बल द्वारा किया जा रहा सायं पैदल गश्त

---संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की की जा रही सघन चेकिंग

---पैदल गस्त के दौरान आमजन व व्यापारियों से संवाद कर कराया जा रहा सुरक्षा का एहसास

श्री मान आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में जनपद में चाक चौबन्द सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था तथा बालिका/महिला सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारीगण व प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/चौकी प्रभारी मय पुलिस बल के साथ सतर्क दृष्टि बनाए रखते हुए सायं पैदल गश्त किया जा रहा है। पैदल गश्त के दौरान प्रमुख मार्गो, चौराहों, बाजारों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों आदि पर संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहनों की गहनता से चेकिंग की गई। पैदल गस्त के दौरान आम जन को आश्वस्त कराया जा रहा है कि जनपद चन्दौली पुलिस शांति, सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है।

□78 वें स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा जनपद वासियों को शुभकामना संदेश

पुलिस अधीक्षक चंदौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा 78 वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जनपदवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी गई

चंदौली:- पुलिस अधीक्षक चंदौली श्री आदित्य लांग्हे ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्वसंध्या पर सभी जनपद वासियों को 78 वें स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। पुलिस अधीक्षक ने जनपदवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी सम्मानित जनपदवासी पूरे धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ एवं आपसी भाईचारा के माहौल में स्वतंत्रता दिवस मनाएं। इसके साथ ही सभी लोग अपने घर/व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर देशभक्ति के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अवश्य फहराएं।

हर घर तिरंगा

□स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आजादी का जश्न मनाये जाने के दृष्टिगत पुलिस लाइन चंदौली से निकाली गयी तिरंगा यात्रा, तिरंगा यात्रा में भारी संख्या में पुलिस के जवान हुए सम्मिलित

□समस्त राजपत्रित अधिकारीगण सहित भारी संख्या में पुलिस व पीएसी के जवान हुए सम्मिलित

□देश भक्ति से ओत-प्रोत हुआ वातावरण

□आमजन में देश प्रेम की भावना किया गया जागृत

78वें स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व के शुभ अवसर पर "हर घर तिरंगा" अभियान के तहत आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के क्रम में आज दिनांक 14.08.2024 को श्री आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन अनिल यादव व अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय सिंह के संचालन में आजादी का जश्न मानने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गयी जो पुलिस लाइन से प्रारम्भ होकर कचहरी अंडरपास, जनपद न्यायालय, पुलिस अधीक्षक आवास, केजीनंदा हास्पिटल होते हुए पुलिस लाइन में आकर सम्पन्न हुई। तिरंगा यात्रा के जरिए संदेश दिया गया कि तिरंगा हमारे देश की आन वान शान है और इसकी शान को हमेशा कायम रखेंगे। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन, अनिल यादव व अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय सिंह, क्षेत्राधिकारी सदर राजेश राय, क्षेत्राधिकारी सकलडीहा रघुराज प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन राम बेलास , टीआई सुरेन्द्र यादव प्रभारी निरीक्षक चंदौली गगनराज सिंह व भारी संख्या में पुलिस के जवान सम्मिलित हुए।